APP-A
Crim-II

FORM NO. III

2044/229

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज०)

हालत ..... मुकाम .....

इंदर बनाम रिंकू उर्फ

मुकदम ..... नं. 16/24/2022 सन् .....

20.09.22

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

30/5/23 आज प्रार्थी पेश हुई प्रार्थी वकील उप० अभार्थी अनुप० प्रार्थी की अनुपस्थिति में अवलोकन किया गया, न्यायालय में विचाराधीन प्रा०पत्र 145(4) से सम्बन्धित कार्यवाही प्रकरण सुओमोटो प्रकरण कायम उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ प्र०सं० 16/24/2023 निर्णय दिनांक 20/3/2023 को न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के आदेश आदेश क्रमांक 7217 दिनांक 4.3.2022 को निरस्त कर दिया गया है। इस लिए उक्त विचाराधीन प्रा०पत्र 145(4) पर अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने की स्थिति में प्रा०पत्र 145(4) की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। प्रार्थी की ओर से पेश मुकाट होकर 5 साल तक उपलब्ध हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)